राजेश कुमार, भा.प्र.से., आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल-सह-कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा दिनांक-03.9.2025 को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार विधान सभा आम चुनाव-2025 की तैयारी से संबंधित समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। तत्पश्चात बिहार विधान सभा आम चुनाव-2025 की तैयारी तथा अन्य मामलों से संबंधित बिन्दुवार समीक्षा की गई। पूर्णिया/कोशी प्रमंडलाधीन जिलों से CCA-3, CCA-12, NBW, Arms Act Cases, Arms Verification, BNSS-107, 126, 129 एवं BNSS-135 से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन निम्नवत है :-

Division :- Purnea

		Date :- 18.08.2025											Date :- 01.09.2025										
		CCA (Section 3)			CCA (Section 12)								CCA (Section 3)			CCA (Section 12)							
Sl. No.	District	Proposal	Disposed/ Allowed	Pending	Proposal	Disposed/ Allowed	Pending	Pending NBW	Pending Chargesheet/Final Report in Arms Act Case	Pending Verification of Arms License/Shops	BNSS 126/129/135	BNSS 107	Proposal	Disposed/ Allowed	Pending	Proposal	Disposed/ Allowed	Pending	Pending NBW	Pending Chargesheet/Final Report in Arms Act Case	Pending Verification of Arms License/Shops	BNSS 126/129/135	BNSS 107
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Purnea	38	Disposed-35 Allowed-22	3	0	0	0	522	48	149/0	17894/ 12/7244	5	43	Disposed-37 Allowed-25	6	0	0	0	450	49	149/ 0	18065 /12/ 7251	5
2	Katihar	122	Disposed-102 Allowed-95	20	4	Disposed-0 Allowed-0	0	972	26	98/0	15740/ 00/5503	12	14 5	Disposed-118 Allowed-111	27	7	Disposed-0 Allowed-0	Proposal back for correction.	615	35	98/0	16036 /00/55 03	13
3	Araria	136	Disposed-135 Allowed-58	1	0	0	0	548	30	447/0	2039/31/ 843	6	13 6.	Disposed-135 Allowed-58	1	0	0	0	548	34	447/ 0	2115/ 34/ 843	6
4	Kishanganj	26	Disposed-21 Allowed-21	5	1	Disposed-1 Allowed-0	0	150	4	171/0	47/00/8	5	32	Disposed-32 Allowed-32	0	1	Disposed-1 Allowed-1	0	127	3	97/0	290/0 0/31	6

Division :- Koshi

		Date :- 18.08.2025											Date :- 01.09.2025										
Sl. No.	District	CCA (Section 3)			CCA (Section 12)			Pending NBW	Pending Chargesheet/Final Report in Arms Act Case	Pending Verification of Arms License/Shops	BNSS 126/129/135	BNSS 107	CCA (Section 3)			CCA (Section 12)			Pending NBW	Pending Chargesheet/Final Report in Arms Act Case	Pending Verification of Arms License/Shops	BNSS 126/129/135	BNSS 107
		Proposal	Disposed/ Allowed	Pending	Proposal	Disposed/ Allowed	Pending						Proposal	Disposed/ Allowed	Pending	Proposal	Disposed/ Allowed	Pending					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Saharsa	136	Disposed-104 Allowed-104	32	2	-	2	542	48	300	7185/0/ 3419	15	159	Disposed-126 Allowed-126	33	2	2	0	563	55	91/0	8946/ 31/ 3750	15
2	Supaul	113	Disposed-95 Allowed-84	18	2	Disposed-0 Allowed-0	2	249	34	197/0	7918/0/ 3253	3	125	Disposed-109 Allowed-12	16	3	Disposed-0 Allowed-0	3	229	31	174/0	8104/ 00/ 3253	3
3	Madhepura	171	Disposed-138 Allowed-70	33	2	2	0	374	87	42/0	6628/0/ 3692	14	173	Disposed-156 Allowed-88	17	2	2	0	374	85	24/0	6646/ 0/ 3754	14

- <u>CCA (Section-3)</u> :– इस बिन्दु पर समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार एवं किशनगंज का निष्पादन बढ़ा है। किन्तु अररिया जिले का पिछले 15 दिनों का प्रगति शून्य है। इस संबंध में प्रगति लाना सुनिश्चित किया जाय। जिला दंडाधिकारी लंबित प्रस्ताव में नोटिस का तामिला थाना के माध्यम से कराते हुए तथा संबंधित पक्ष को विधिवत सुनकर सकारण आदेश से शीघ्र निस्तार करें। ताकि लंबित मामलों में कमी आ सके।

- <u>CCA (Section-12)</u> :– इस बिन्दु पर समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक-18.8.2025 के बाद मात्र सुपौल में एक प्रस्ताव बढ़ा है। अन्य जिलों में इस मामले में कोई प्रगति नही हुई है। जबकि इस संबंध में पिछली बैठक में सभी पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत ध्यान देने का निदेश दिया गया था। इसकी शीघ्र समीक्षा पुलिस महानिरीक्षक के स्तर पर किया जाना अपेक्षित है।

- <u>NBW</u> :– इस बिन्दु पर समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लगभग सभी जिलों में NBW के मामले बड़ी संख्या में लंबित है। इस मामले में अपेक्षित प्रगति नहीं लायी जा रही है। साथ ही गृह विभाग, बिहार, पटना को भेजे गये प्रतिवेदन एवं प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय को समर्पित किये गये प्रतिवेदन में भिन्नता है। ऐसा प्रतीत होता है कि तैयार प्रतिवेदन की समीक्षा संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा नहीं की जाती है। अतः इस संबंध में सभी पुलिस अधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि प्रतिवेदन भेजने से पूर्व इसकी समीक्षा/जाँच अवश्य कर ली जाय। तथा सही आकड़ा का प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। तथा NBW निष्पादन में तेजी लावें।

- <u>BNSS 107</u> :– कटिहार एवं किशनगंज में प्रगति हुई है किन्तु शेष अन्य जिलों में कोई प्रगति नहीं हुई है। इस संबंध में पूर्णिया, अररिया, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिले के पुलिस अधीक्षक को विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

- **BNSS 126/129/135** :– इसकी समीक्षा में यह पाया जा रहा है कि अनुमंडल दंडाधिकारी के स्तर से प्राप्त प्रस्तावों के निस्पादन में त्वरित गति से अंतिम सुनवाई कर आदेश पारित नहीं किया जा रहा है। अतः संबंधित अनुमंडल दण्डाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि थाना स्तर से नोटिस का तामिला कराते हुए, संबंधित पक्ष को विधिवत सुनकर समयबद्ध रूप से सकारण आदेश पारित करें। पारित आदेश के अनुसार **Bond Excution** यथाशीघ्र विधिवत करावें। सभी जिला दंडाधिकारी इसकी समीक्षा करते हुए दो दिनों के अंदर अब तक प्रेषित प्रस्तावों के वास्तविक **Bond Excution** की संख्यात्मक विवरणी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

- **Arms Act Cases** :- समीक्षा में यह पाया गया कि **Arms Act Cases** के तहत दर्ज मामलों में निष्पादन के बजाय लंबित मामलों की संख्या बढ़ी है। दिनांक-18.8.2025 को पूर्णिया जिले मे 48 मामले लंबित थे सम्प्रति 49 मामले प्रतिवेदित है। इसी प्रकार कटिहार में लंबित मामले की संख्या-26 से बढ़कर 35, अररिया में 30 से बढ़कर 34, सहरसा में 48 से बढ़कर 55 हो गयी। पुलिस अधीक्षक इस पर विशेष ध्यान देंगे तथा इसका त्वरित निस्तार करेंगे।

- **Verification of Arms License/Shop** :– दिनांक-18.8.2025 के रिपोर्ट में प्रतिवदित Arms License Verification के लंबित मामले में पूर्णिया, कटिहार, अररिया में अद्यतन कोई प्रगति नहीं हुई है। सम्प्रति पूर्णिया में 149, कटिहार में 98, अररिया में 447 मामले लंबित हैं। इसी प्रकार कोशी प्रमंडल अंतर्गत सहरसा में 91, सुपौल में 174 एवं मधेपुरा में 24 मामले लंबित हैं।

  अतः इस मामले में संबंधित जिला शस्त्र दंडाधिकारी अपना स्पष्टीकरण तीन दिनों के अंदर समर्पित करेंगे।

- निर्वाचन **Offence** :– निर्वाचन **Offence** से संबंधित गृह विभाग को प्रेषित प्रतिवेदन में जिलों में लंबित मामलों की संख्या पूर्णिया में 34, किशनगंज में 15 एवं अररिया, कटिहार में शून्य है। कोशी प्रमंडल में लंबित मामलों की संख्या शून्य प्रतिवेदित है। अतः पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया एवं किशनगंज इस पर विशेष ध्यान देते हुए प्रगति लाना सुनिश्चित करेंगे।

- **AMF(Assured Minimum Facility)** :– समीक्षा के क्रम में सहरसा जिले का कार्य सबसे अच्छा पाया गया। पूर्णिया जिले में काफी मामले लंबित पाये गये। विगत समीक्षा के क्रम में इस मामले में अपेक्षित सुधार लाने हेतु निदेश के बावजूद अपेक्षित प्रगति नहीं होना खेदजनक स्थिति है। **AMF(Assured Minimum Facility)** के लिए संबंधित सभी जिले के उप विकास आयुक्त को नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है। निदेश दिया जाता है कि प्रतिदिन संध्या 6 बजे ई-मेल के माध्यम से प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

- **CAPF** आवासन स्थल :– समीक्षा में पाया गया कि **CAPF** आवासन स्थलों पर शौचालय/स्नानगार/रसोईघर एवं अन्य व्यवस्था की समीक्षा ठहरने वाले बल की संख्या के अनुसार सम्भवतः जिला स्तर पर नहीं हुई है। अतः जिला पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि **CAPF** के संख्या के अनुसार शौचालय, स्नानगार, रसोईघर एवं अन्य व्यवस्था का आकलन करते हुए त्वरित गति से कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। **CAPF** के आवासन स्थलों पर AMF के लिए संबंधित सभी जिले के उप विकास आयुक्त को नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है। निदेश दिया जाता है कि प्रतिदिन संध्या 6 बजे ई-मेल के माध्यम से प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

- **Communication Plan** :– संबंधित सभी जिला पदाधिकारी को जिले का Communication Plan अविलंब तैयार करने का निदेश दिया जाता है।

- **वाहनों की उपलब्धता**:- सभी संबंधित जिला पदाधिकारी मतदान कर्मियों एवं मतदान सामग्रियों/अर्द्धसैनिक बलों हेतु वाहनों का आकलन कर उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी से उपलब्ध वाहनों का आकड़ा एकत्रित करेंगे। साथ ही सभी जिला परिवहन पदाधिकारी अपने-अपने जिले के निबंधित वाहनों की सूची तैयार कर तदनुसार इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया/कोशी प्रमंडल को आदेश दिया जाता है कि सभी जिला परिवहन पदाधिकारी से इसकी समीक्षा करते हुए Transport Plan तैयार करना सुनिश्चित करेंगे। Transport Plan के अनुसार वाहनों का आकलन

ज्ञापांक 5555 दिनांक 04.09.2025

प्रतिलिपि:- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग(विशेष शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

04/9/2025.
आयुक्त,
पूर्णिया, प्रमंडल, पूर्णिया
-सह-
कोशी प्रमंडल, सहरसा ।

करते हुए प्रतिवेदन तैयार करायेंगे। किसी भी जिले में वाहनों की कमी होने पर अन्य जिलों से इसकी प्रतिपूर्ति हेतु कार्य योजना एक सप्ताह के अंदर तैयार करना सुनिश्चित करेंगे।

- **Material Tender** :– निर्वाचन से संबंधित सामग्रियों की आपूर्ति के निमित जल्द निविदा की प्रक्रिया पूर्ण करने तथा कार्यदिश निर्गत करने का निदेश दिया गया।

कई जिले के प्रतिवेदनों में काफी Contradiction की स्थिति पायी गई तथा उक्त प्रतिवेदन कभी भी ससमय उपलब्ध नहीं कराया जाता है। एक तरफ प्रतिवेदन विलम्ब से भेजी जाती है, दूसरी तरफ मामलों के निष्पादन की स्थिति पूर्ववत् पायी जाती है। यह स्थिति खेदजनक है। बिहार विधान सभा आम चुनाव-2025 के मद्देनजर उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर त्वरित कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है। सभी जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को अविलम्ब अपने प्रतिवेदन को Verify करने की आवश्यकता है। एक सप्ताह के अन्दर सभी मतदान केन्द्रों एवं CAPF आवासन स्थलों का Physical Verification कराते हुए लंबित कार्य सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। इसकी समीक्षा अधोहस्ताक्षरी द्वारा समय-समय पर VC के माध्यम से सभी उप विकास आयुक्त एवं सभी जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ की जायेगी।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह०/—
आयुक्त,
पूर्णिया, प्रमंडल, पूर्णिया
-सह-
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक......................दिनांक.................................

प्रतिलिपिः - पुलिस उप-महानिरीक्षक, पूर्णिया क्षेत्र, पूर्णिया/कोशी क्षेत्र, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज/सहरसा/मधेपुरा/सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज/सहरसा/मधेपुरा/सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया/कोशी प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- उप विकास आयुक्त, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज/सहरसा/मधेपुरा/सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्णिया/कोशी प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला परिवहन, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज/सहरसा/मधेपुरा/सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज/सहरसा/मधेपुरा/सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। साथ ही निदेश दिया जाता है कि अपना स्पष्टीकरण 3 दिनों के अन्दर समर्पित करें।

प्रतिलिपिः- पूर्णिया एवं कोशी प्रमंडल के सभी अनुमंडल दंडाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/—
आयुक्त,
पूर्णिया, प्रमंडल, पूर्णिया
-सह-
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

करते हुए प्रतिवेदन तैयार करायेंगे। किसी भी जिले में वाहनों की कमी होने पर अन्य जिलों से इसकी प्रतिपूर्ति हेतु कार्य योजना एक सप्ताह के अंदर तैयार करना सुनिश्चित करेंगे।

- **Material Tender** :– निर्वाचन से संबंधित सामग्रियों की आपूर्ति के निमित जल्द निविदा की प्रक्रिया पूर्ण करने तथा कार्यादेश निर्गत करने का निदेश दिया गया।

कई जिले के प्रतिवेदनों में काफी Contradiction की स्थिति पायी गई तथा उक्त प्रतिवेदन कभी भी ससमय उपलब्ध नहीं कराया जाता है। एक तरफ प्रतिवेदन विलम्ब से भेजी जाती है, दूसरी तरफ मामलों के निष्पादन की स्थिति पूर्ववत् पायी जाती है। यह स्थिति खेदजनक है। बिहार विधान सभा आम चुनाव-2025 के मद्देनजर उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर त्वरित कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है। सभी जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को अविलम्ब अपने प्रतिवेदन को Verify करने की आवश्यकता है। एक सप्ताह के अन्दर सभी मतदान केन्द्रों एवं CAPF आवासन स्थलों का Physical Verification कराते हुए लंबित कार्य सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। इसकी समीक्षा अधोहस्ताक्षरी द्वारा समय-समय पर VC के माध्यम से सभी उप विकास आयुक्त एवं सभी जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ की जायेगी।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह०/-
आयुक्त,
पूर्णिया, प्रमंडल, पूर्णिया
-सह-
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 5555 दिनांक 04.09.2025

प्रतिलिपिः - पुलिस उप-महानिरीक्षक, पूर्णिया क्षेत्र, पूर्णिया/कोशी क्षेत्र, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः- जिला पदाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज/सहरसा/मधेपुरा/सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज/सहरसा/मधेपुरा/सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णिया/कोशी प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- उप विकास आयुक्त, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज/सहरसा/मधेपुरा/सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्णिया/कोशी प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- जिला परिवहन, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज/सहरसा/मधेपुरा/सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः- जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, पूर्णिया/कटिहार/अररिया/किशनगंज/सहरसा/मधेपुरा/सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। साथ ही निदेश दिया जाता है कि अपना स्पष्टीकरण 3 दिनों के अन्दर समर्पित करें।
प्रतिलिपिः- पूर्णिया एवं कोशी प्रमंडल के सभी अनुमंडल दंडाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

04/9/2025.
आयुक्त,
पूर्णिया, प्रमंडल, पूर्णिया
-सह-
कोशी प्रमंडल, सहरसा।